

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by an Act of Parliament No.35 of 1989)

मुख्यालय : लुमामी | Headquarters : Lumami

PENSIONER'S IDENTITY CARD FORM

पेंशनधारक पहचान-पत्र प्रपत्र

- Title (Tick the appropriate one) : Prof. /Dr. /Er /Mr. /Mrs. /Ms. / Other if any
नाम शीर्ष (उपयुक्त पर निशान लगाएँ) प्रो. / डॉ. / इंजि / श्री / श्रीमती / सुश्री / अन्य यदि कोई
- Pensioner's Official name in Block Letters : _____
पेंशनधारक का पूरा नाम
- Date of Birth : _____
जन्म-तिथि
- Date of Superannuation / Retirement : _____
सेवानिवृत्ति की तिथि
- Pay Scale on Retirement : _____
सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान
- Post held on Retirement : _____
सेवानिवृत्ति के समय पद
- Last Pay : _____
अंतिम वेतन
- PPO No. & Date / PRAN No. : _____
पेंशन भुगतान आदेश संख्या एवं दिनांक / स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या :
- Blood Group : _____
रक्त समूह
- Identification Mark : _____
पहचान चिन्ह
- Residential Address : _____
आवासीय पता
- Telephone / Mobile Number : _____
दूरभाष / मोबाइल संख्या

(Signature of the Applicant inside the box without touching the sides using black marker pen only)

(Verified by Establishment Section, NU, Lumami, Signature with Seal)

(स्थापना अनुभाग, एनयू, लुमामी द्वारा सत्यापित, मुहर के साथ हस्ताक्षर)

INSTRUCTIONS / निर्देश

- Applicants are requested to provide 1 (one) latest colour passport size photograph. (Either hardcopy or soft copy) at the time of submitting the form.
(क). आवेदकों से अनुरोध है कि वे 1 (एक) नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (या तो हार्डकॉपी या सॉफ्ट कॉपी) फॉर्म जमा करते समय जमा करें।
- The following rates shall apply, to be paid through NU Challan:
(a) First time: ₹ 20/- (b) Second time on account of loss/damage: ₹50/- (c) Third time & above on account of loss/damage: ₹ 100/-
(ख). नागालैण्ड विश्वविद्यालय चालान के माध्यम से भुगतान की जाने वाली निम्नलिखित दरें लागू होंगी:
(अ) पहली बार: ₹20/- (ब) नुकसान/क्षति के कारण दूसरी बार: ₹50/- (स) तीसरी बार और अधिक नुकसान/क्षति के कारण: ₹100/-
- Damaged card(s) should be surrendered for subsequent issue. / (ग). क्षतिग्रस्त पहचान-पत्रों को आगे की कारवाई हेतु सरेंडर किया जाए।